संख्या - 1192 / 38-7-2007-42एनआरईजीए / 07

प्रेषक,

देवेन्द्र चौधरी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 09 अगस्त, 2007

विषय: ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को देय मजदूरी का निर्धारण।

अपर आयुक्त (विकास) / AC(NREGA)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-1779(1)/38-4-2000, दिनांक 16 सितम्बर, 2000 एवं शासनादेश सं0-624/38-7-2007/एनआरईजीए/07, दिनांक 23 मई, 2007 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या-1518/36-3-2007-1 (एम0डब्ल्यू0)/05, दिनांक 01 अगस्त, 2007 द्वारा कृषि नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की गयी हैं। तत्क्रम में प्रदेश में संचालित योजनाओं यथा-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं अन्य ~~अन्य~~ ग्रामीण श्रमपरक रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का भुगतान सम्पूर्ण प्रदेश के लिए रू0 100.00 (रूपये सौ मात्र) प्रतिदिन की दर पर किया जायेगा।

16.8.2007

2- मजदूरी की उक्त दर दिनांक 01 अगस्त, 2007 से प्रभावी है।

3- योजनान्तर्गत अनुमन्य मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से ग्राम्य विकास विभाग एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4- कृपया उक्त सूचना समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को देते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(देवेन्द्र चौधरी)
प्रमुख सचिव।

A.C. नरेगा (श्री...)
17/8/2007

20/8/07

संख्या– 1192 /38–7–2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/वन विभाग सिंचाई विभाग/राजस्व विभाग/कृषि विभाग/लघु सिंचाई/ग्रामीण अभि0 सेवा विभाग/पशुधन विभाग/क्षेत्रीय विकास विभाग/कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग/श्रम विभाग/वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
2. राहत आयुक्त, उ0प्र0।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभि0 सेवा विभाग/लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
10. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
11. समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से

8.8.07

(रूपचन्द्र राजपूत)

संयुक्त सचिव।

C:\DINESH\... august 07.doc